[21/7/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 787]

तारांकित प्रश्न क्रमांक 787

परिशिष्ट (अ)

प्रश्नांश (क) में उल्लेखित घटना के संबंध में थाना रौन, जिला भिण्ड में अपराध क्रमांक 33/26 धारा 132, 121(1), 296 (बी), 351(3), 191(2), 191(3), 190 बी. एन. एस. के आरोपीगण 1 गोपाल राजावत पिता त्रिभुवन राजावत निवासी लालौर, 2. प्रदीप राजावत पिता जयपाल राजावत निवासी नदना, 3. विवेक राजापत पिता गोपाल राजावत, 4. गोपाल राजावत पिता श्यामशरण राजावत, 5 अशोक राजावत पिता तहसीलदार राजावत, 6. दीपू राजावत पिता विशम्बर राजावत, 7. डम्पी राजावत पिता विशम्बर राजावत, 8 भूरे राजावत पिता रायसिंह राजावत, 9. अशुल राजावत पिता राय सिंह राजावत, 10. छोटे उर्फ देवेन्द्र राजावत पिता बृजेन्द्र राजावत, 11. केशव सिंह राजावत पिता करता सिंह, 12 रामपाल सिंह पिता हुकम सिंह राजावत, 13 सीधू राठौर, 14 कल्ले सिंह राजावत, 15 महेश सिह राजावत व अज्ञात 10 व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी अशोक सिंह राजावत पिता तहसीलदार सिह राजावत निवासी- लालौर एवं आरोपी रामपाल सिंह राजावत पुत्र स्व हुकम सिंह राजावत आयु 40 वर्ष नि लालौर व महेश सिह राजावत पिता जिलेदार सिह राजावत आयु 35 वर्ष, निवासी लालौर को क्रमश: दिनाक 25.02 2026 एवं 29.06.2026 को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अन्य फरार आरोपीगण की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है। फरार आरोपीगण की चल-अचल सम्पति की जानकारी प्राप्त की गई एव फरारी पंचनामा तैयार किये गये है। अवैध रेत उत्खनन तथा परिवहन संबंधी अपराध पर घटना के पूर्व या घटना के बाद उचित धाराओं में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध न करने के लिये पुलिस कर्मियो के विरूद्ध अनुसाशनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
(पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with CamScanner

तारांकित प्रश्न क्रमांक 787

परिशिष्ट (ब)

थाना रौन में अपराध क्रमांक 35/26 धारा 221, 132, 126(2), 351(3), 296 (बी), 61(2) (ए), 3(5) बी. एन. एस. इजाफा धारा 25 (1-बी) ए आर्म्स एक्ट का अपराध 07 आरोपीगण के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना में आरोपी तहसीलदार सिह राजावत पिता स्व अमर सिंह राजावत व आरोपी अशोक सिंह राजावत पिता तहसीलदार सिह राजावत निवासीगण लालौर को दिनाक 25.02.2026 को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अन्य फरार आरोपीगण की गिरफ्तारी के निरंतर प्रयास जारी है। फरार आरोपीगण की चल-अचल सम्पति की जानकारी प्राप्त की गई एवं फरारी पचनामा तैयार किये गये है तथा धारा 75 बी एन. एस. एस. के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी कराने हेतु माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण विवेचनाधीन है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with CamScanner